डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 18 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

यह भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2001 है. **संक्षिप्त नाम.**

2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है. **विस्तार.**

3. यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा. **प्रारंभ.**

4. (i) छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क, अधिनियम 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के द्वितीय परन्तुक में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" प्रतिस्थापित किया जायेगा. **धारा 3 एवं 3-ख का प्रतिस्थापन एवं विलोपन.**

(ii) प्रमुख अधिनियम की धारा 3 (ख) में "को समेकित रकम" शब्दों को विलोपित किया जायेगा.

(iii) प्रमुख अधिनियम की धारा 3 (ख) में वर्तमान सारणी निम्नांकित सारणी द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:

सारणी

अ.क्र. (1)	जनसंख्या (2)	प्रति केबल कनेक्शन प्रतिमाह मनोरंजन शुल्क की दर (3)
1.	1 से 20,000 तक	निरंक
2.	20,001 से 50,000 तक	रुपये 5/-
3.	50,000 से अधिक	रुपये 10/-

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में अगले वित्तीय वर्ष से प्रदेश के 20,000 से 50,000 जनसंख्या वाले कस्बों में रुपये 5/- प्रति कनेक्शन प्रतिमाह एवं 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले कस्बों में रुपये 10/- प्रति कनेक्शन, प्रतिमाह केबल आपरेटर्स पर मनोरंजन शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था. अत: छत्तीसगढ़ मनोरंजन एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936 में केबल आपरेटर्स से मात्र समेकित वार्षिक शुल्क, जनसंख्या के आधार पर लेने संबंधी प्रावधान को संशोधित करना आवश्यक था.

2. चूंकि, विधान सभा का सत्र चालू नहीं था एवं अधिनियम में उपरोक्तानुसार संशोधन करने आवश्यक थे. अत: महामहिम राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ मनोरंजन एवं विज्ञापन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया था जिसे अधिनियम में परिवर्तित किया जाना है.

3. राज्य सरकार ने सेन्ट्रल सिने सर्किट एसोसियेशन की मांग पर विचार कर यह निर्णय लिया है कि अधिनियम की धारा-3 के द्वितीय परन्तुक के प्रावधान, जिसके अनुसार, छबिगृह स्वामियों द्वारा छबिगृह में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो रुपया 1/- प्रति टिकट संग्रहित किया जाता है एवं जिस पर मनोरंजन कर अधिग्रहित नहीं होता है, उसे बढ़ाकर रुपये 2/- किया जाए. इसे प्रभावशील करने के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है.

4. अतएव, यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर : रामचन्द्र सिंहदेव

तारीख : 24 जुलाई, 2001 भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ मनोरंजन कर एवं विज्ञापन शुल्क अधिनियम, 1936

धारा 3 का द्वितीय परन्तुक

परन्तु यह और भी कि चलचित्र के प्रदर्शन सिनेमा हाल में किए जाएं वहां उन व्यक्तियों को, जिन्हें उक्त सिनेमा हाल में प्रवेश दिया गया है, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भुगतान के आधार पर कलेक्टर द्वारा यथा अवधारित एक रुपये प्रति टिकिट से अनधिक किसी राशि पर शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा.

धारा 3-ख

3-ख. केबल आपरेटर द्वारा देय मनोरंजन शुल्क—

(1) धारा 3 या धारा 3-ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक केबल आपरेटर ऐसी सेवा के, उन अभिदाताओं को, जो होटल के कमरों या वासा के स्वामी या अधिभोगी नहीं है, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में उल्लिखित जनसंख्या वाले किसी स्थान या शहर में केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराता है, वह राज्य सरकार को, नीचे विनिर्दिष्ट दर से प्रतिमास शुल्क को समेकित रकम का भुगतान करेगा—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जनसंख्या (2)	समेकित शुल्क की दर प्रतिमाह (3)
1.	10,000 तक	कुछ नहीं
2.	10,001 से 50,000 तक	250 रुपये
3.	50,001 से 1,00,000 तक	500 रुपये
4.	1,00,001 से 5,00,000 तक	1000 रुपये
5.	5,00,001 से 10,00,000 तक	1250 रुपये
6.	10,00,000 से अधिक	1500 रुपये

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.